सं.1/14011/01/2012-रा.भा.(नीति/के.अनु.ब्यूरो)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

....

लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली, दिनांक 28 मई, 2012.

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय:- सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग के लिए नीति निर्देश |

संघ के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग से समय-समय पर सरल और सहज हिंदी के प्रयोग के लिए नीति-निर्देश जारी किए गए हैं | इस विषय पर तत्कालीन सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा जारी पत्र सं. 1/14011/02/2011-रा.भा.(नीति-1), दिनांक 26 सितम्बर, 2011 में निम्न पूर्व निर्देशों का उल्लेख किया गया है:--

(क) कार्यालय ज्ञापन सं. II/13034/23/75-रा.भा.(ग), दिनांक 17.3.1976

(ख) कार्यालय ज्ञापन सं. 13017/1/88(ग), दिनांक 27.4.1988

(ग) अ.शा. पत्र सं. I/14013/04/99-रा.भा.(नीति), दिनांक 30.6.1999

(घ) कार्यालय ज्ञापन सं. I/14011/04/2010-रा.भा.(नीति-1), दिनांक 19.7.2010

2. हिंदी के सरल रूप को अपनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने हिंदी के ज्ञान के स्तर पर आधारित, आवश्यकतानुसार दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कर सकता है | तथापि ऐसे शब्दों की कोई मानक या निर्देशात्मक/उदाहरणार्थ सूची बनाना न तो अपेक्षित है और न ही संभव है | अत: यह महसूस किया गया है कि ऊपर लिखित चार निर्देशों के अतिरिक्त और कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी | मुझे यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि केवल ऊपर लिखित दिनांक 17.3.1976, 27.4.1988, 30.6.1999 और 19.7.2010 के चार संदर्भों में उल्लिखित मार्गदर्शी निर्देशों का पालन किया जाए |

(रति राम)
अवर सचिव, भारत सरकार

1. सचिव, समस्त मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार |
2. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110006.
3. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग |